



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 140 राँची, गुरुवार,

31 मार्च, 2022 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

30 मार्च, 2022

अधिसूचना सं० - पर्य./यो. - 40/2017 - 06 --झारखण्ड राज्य पर्यटक स्थल/प्रक्षेत्र घोषित करने की नियमावली (विभागीय अधिसूचना संख्या - 05, दिनांक 27.04.2016 द्वारा अधिसूचित) तथा विभागीय संकल्प संख्या - 1494, दिनांक 28.08.2015 (वर्गीकरण नियमावली) अन्तर्गत किए गए प्रावधान अनुसार राज्य पर्यटन संवर्धन समिति के दिनांक - 29.03.2022 को संपन्न बैठक में किए गए अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 01, दिनांक 22.02.2019 सह पठित ज्ञापांक 338, दिनांक 22.02.2019, अधिसूचना संख्या - 05, दिनांक 12.03.2021 सह पठित ज्ञापांक 558, दिनांक 12.03.2021, अधिसूचना संख्या - 11, दिनांक 27.10.2021 सह पठित ज्ञापांक 1570, दिनांक 27.10.2021 एवं अधिसूचना संख्या - 02, दिनांक 14.02.2022 सह पठित ज्ञापांक 178, दिनांक 14.02.2022 द्वारा अधिसूचित पर्यटक स्थलों के अतिरिक्त पर्यटन महत्व के निम्न स्थलों को उनके शीर्ष पर अंकित श्रेणी का पर्यटक स्थल/प्रक्षेत्र घोषित किया जाता है -

क्र.	जिला का नाम	पर्यटक स्थल का नाम			
		A (अंतर्राष्ट्रीय महत्व का)	B (राष्ट्रीय महत्व का)	C (राज्य स्तरीय महत्व का)	D (स्थानीय महत्व का)
1.	देवघर	-	-	-	कजरा शिव धाम
		-	-	-	पिपरासोल दुबे धाम
		-	-	-	नैयाडीह काली मंदिर
		-	-	-	भेड़वा मजार
		-	-	-	संघरा मजार
		-	-	-	लखना मोहल्ला कर्बला
		-	-	-	धर्मराज धाम
2.	गिरिडीह	-	उसरी वाटरफॉल	सोना पहाड़ी धाम	बरमसिया धाम
		-	-	चिरूवां शरीफ	खटैया पहाड़
		-	-	जलीय सूर्य मंदिर	शिव शक्ति धाम
		-	-	दुःखहरण धाम (दुखिया महादेव)	राजधह धाम
		-	-	जमामो मंदिर	डबर सैनी मंदिर
		-	-	-	प्रतिमानाथ धाम
		-	-	-	बाबा नरेश धाम
		-	-	-	लंगटाबाबा समाधी स्थल
		-	-	-	झारो धाम
		-	-	-	पंचमंदिर तालाब एवं मंदिर
		-	-	-	लकड़गढ़ा बाबा मंदिर
		-	-	-	नर्मदा धाम
		-	-	-	मानसरोवर तालाब
		-	-	-	नचनियां पहाड़ी बाबा मंदिर

		-	-	-	राधा-कृष्ण ठाकुर बाड़ी सेवा आश्रम, राधा-कृष्ण दासडीह
		-	-	-	नौलखा डैम
		-	-	-	सीतानाला
		-	-	-	कुबेर ईश्वरधाम, खुदीसार
		-	-	-	मदगोपाली डेलिया डैम
		-	-	-	शहीद स्मारक-सह- शहीद पार्क एवं पुस्तकालय

II. इस पर मा. विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजू रंजन राय,
सरकार के संयुक्त सचिव।
